दीवानी वादपत्र सं. 60 / 2008
बिरदीचन्द वगैरह बनाम जयवंती वगैरह

07.04.2026

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता वादी उपस्थित।

इस आदेश के जरिए प्रार्थी अध्यक्ष पूज्य सिंधी समाज पंचायत सरवाड के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 13.02.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि प्रार्थी को खसरा नं 1597 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व अराजी खसरा नं 1612 में से 4560 वर्गफीट भूमि पूज्य सिंधी समाज पंचायत सरवाड को साई झूलेलाल मंदिर एव धर्मशाला निर्माण हेतु किमतन आवंटन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.08.2007 को की गयी तथा सिंधी समाज द्वारा उक्त आवंटन भूमि की प्रिमियम राशि भी उक्त प्रकरण के प्रतिवादी सं 4 के मार्फत 25517/-- राजकोष मे जमा करवाए जा चुके हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी हो रखा है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को जब आवंटित भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु नगरपालिका सरवाड मे कर रखे आवेदन मे दिनांक 03.04.2017 को पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया तो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा कोई परवाह नही किए जाने पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 03.04.2017 को दर्ज करवाए गए परिवाद का जवाब दिनांक 19.04.2018 को प्रतिवादी सं 4 द्वारा प्रार्थी को दिया गया कि आपको आवंटित खसरा नं 1597 मे स्थगन आदेश जारी है तथा आपके पट्टा व उससे संबंधित विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जब तक कि स्थगन आदेश नही हट जाता। खसरा नं 1597 में प्रार्थी पूज्य सिंधी समाज पंचायत सरवाड का ही हित निहित है एव उक्त प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि खसरा नं 1597 मे 4560 वर्गफीट भूमि समाज हित मे आवंटित हुई है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित नही किया जाता है तो प्रार्थी को खसरा नं 1597 मे आवंटित भूमि पर प्राप्त हक अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने के लिए एव अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व मे भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के संबंध में वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष कहने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र विड्रा कर लिया गया था। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

इसके जवाब मे वादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय पूर्व मे कर दिया गया था। जिसकी अपील वादीगण द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालय अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश केकडी के यहा प्रस्तुत की गई। जिसमे पूज्य सिंधी समाज सरवाड की ओर से जरिए अध्यक्ष दो बार अपीलीय न्यायालय मे आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो अपीलीय न्यायालय माननीय अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश क्र.सं. 1 केकडी के यहा दिनांक 11.02.2022 व 16.04.2025 को खारिज हो चुके है। उक्त तथ्यो को छिपाकर सिंधी समाज की ओर से उक्त आवेदन पेश किया गया है जो कानूनन गलत व चलने योग्य नही है। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ श्रीमान न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि सभी विवाद्यको पर पृथक पृथक विवेचन कर निर्णय पारित करे। ऐसी स्थिति मे इस स्तर पर पूज्य सिंधी समाज का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खास तौर से उस स्थिति मे जबकि पूज्य सिंधी समाज द्वारा इन्ही आधारो पर प्रस्तुत आवेदन को माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त स्थिति मे आवेदनकर्ता द्वारा

सिविल न्यायाधीश
सरवाड जिला-अजमेर (राजस्थान)

246 बी.एन.एस. के तहत दण्डित होने योग्य है। अतिरिक्त कथन में पूज्य सिंधी समाज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खर्चे सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी श्री पूज्य सिंधी समाज सरवाड हस्तगत प्रकरण में स्वयं को बतौर प्रतिवादीगण संयोजित कराए जाने की मंशा रखता है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी द्वारा आराजी खसरा नं 1597 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व अराजी खसरा नं 1612 कस्बा सरवाड के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है। खसरा नं 1597 में 4560 वर्गफीट भूमि पूज्य सिंधी समाज को साई झूलेलाल मंदिर व धर्मशाला निर्माण हेतु वर्ष 2007 में आवंटित की गयी। अतः वादवर्णित सम्पत्ति पर प्रार्थी का हक निहित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.10.2006 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण का समुचित निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा बाद विचारण दिनांक 28.04.2017 को किया गया, जिस पर उक्त निर्णय की अपील माननीय अपीलीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय केकडी संख्या 1 में प्रेषित की गयी, जिस पर हस्तगत वाद आदेश दिया गया कि **अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर पृथक–पृथक विवेचन कर तथा यदि पक्षकारान की ओर से कोई सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त पेश किए जाते हैं तो उनकी रोशनी में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। प्रकरण सन् 2006 का है। अतः विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण का विधि अनुसार अतिशीघ्र निस्तारण का प्रयास करें। पक्षकारान दिनांक 16.10.2025 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।** पुनः न्यायालय को प्रेषित किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत वाद वर्ष 2006 में न्यायालय में संस्थित होकर वर्ष 2014 में निर्णित किया गया। प्रकरण में प्रार्थी पूज्य सिंधी समाज सरवाड द्वारा स्वयं को वादवर्णित सम्पत्ति वर्ष 2007 में आवंटित होने का कथन किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वर्ष 2007 से 2014 के मध्य हस्तगत प्रकरण में स्वयं को पक्षकार संयोजित किए जाने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किए गए। प्रकरण जब न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिया गया तथा उक्त निर्णय की अपील माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी तब प्रार्थी पूज्य सिंधी समाज सरवाड द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी वास्ते बतौर पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16.04.2025 को माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए पूज्य सिंधी समाज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी आधारहीन होने के कारण खारिज किया गया। प्रकरण में माननीय अपीलीय न्यायालय की उक्त आदेशिका की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत है। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का विचारण करते हुए प्रकरण में हाजा न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया।

यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रार्थी पूज्य सिंधी समाज की ओर से अपीलीय न्यायालय द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जो अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली हाजा न्यायालय को पुनः प्रेषित करते समय यह आदेश पारित किये कि विचारण न्यायालय पत्रावली पर विचारण के समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर

सिविल न्यायाधीश
सरवाड, जिला-अजमेर (राजस्थान)

विचार करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर पृथक–पृथक विचारण कर तथा पक्षकारों की ओर से यदि कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जाते हैं तो उसकी रोशनी में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूज्य सिंधी समाज द्वारा प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित होने का आवेदन माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पुनः सुनवाई हेतु किसी प्रकार के निर्देश हाजा न्यायालय को प्रदान नहीं किए गए हैं। इस संबंध में विधिक प्रावधानों के आलौक में न्यायालय का यह विनम्र मत है कि **एक बार जब अपीलीय न्यायालय आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार को शामिल करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है तो सामान्यतः वह आवेदन विचारण न्यायालय में पुनः दायर नहीं किया जा सकता। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विचारण न्यायालय पर बाध्यकारी होता है। यदि अपीलीय न्यायालय किसी पक्षकार की आवश्यकता अथवा औचित्य पर पूर्व में निर्णय दे चुके है तो विचारण न्यायालय को समान तथ्यों के आधार पर उस आदेश पर पुनः विचार करने का अधिकार नहीं है।** Constructive res judicata सिद्धान्त एक ही प्रकरण के विभिन्न चरणों पर लागु होता है। एक बार अपीलीय चरण में पक्षों के बीच के किसी मुद्दे पर (किसी पक्षकार के संयोजन) पर निर्णय हो जाने के बाद, वह कार्यवाही के उस चरण के लिए अंतिम हो जाता है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त **सत्यदान घोषाल बनाम देवराजीन देवी 1960 एस.सी. 941** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक ही प्रकरण के दो चरणों के बीच Constructive res judicata का सिद्धान्त लागु होता है। यदि कोई मुद्दा अपीलीय चरण में तय हो चुका है तो उसे पश्चातवृर्ति कम में दुबारा नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **अर्जुनसिंह बनाम मोहिन्दर कुमार 1964 एस.सी. 993** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि समान तथ्यों पर समान आवेदन पूर्व में खारिज हो चुका है तो उक्त आवेदन पुनः विचारण किए जाना न्यायालय प्रकिया का दुरूपयोग है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पूज्य सिंधी समाज को बतौर पक्षकार संयोजित किए जाने के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अपीलीय न्यायालय के आदेश पारित किए जाने के पश्चात प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में कोई परिवर्तन इस रीति का होना दर्शित नही होता जिसके कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र पुनः पेश किया जाना पोषणीय प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने न्यायिक दृष्टान्त/बहस अन्तिम हेतु दिनांक 17/4/26 को पेश हो।

सिविल न्यायाधीश
सरवाड़, जिला-अजमेर (राजस्थान)